राजस्थान सरकार
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, जैसलमेर

फोन / फेक्स : 02992–252377 **ई–मेल :** pro252377@gmail.com Web Site :www.dipr.rajasthan.gov.in

अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक, आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण के दिये निर्देश, जनसुनवाई में मंत्री ने सुनी परिवादियों की परिवेदनाएं

जैसलमेर, 01 जनवरी। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभाव अभियोग निराकरण केबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे आमजन की समस्याओं को धैर्य के साथ सुनकर उनका तत्परता से निस्तारण कर उन्हें राहत प्रदान करें। उन्होंने जनअभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों को भी तत्वरित गति से निस्तारण करने पर जोर दिया ताकि लोगों को इस उच्चस्तरीय फॉर्म का लाभ मिलें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्या के निस्तारण के प्रति गंभीर है इसलिए अधिकारी समस्याओं के प्रति सजग रहकर लोगों को राहत प्रदान करें।

अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभाव अभियोग निराकरण केबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति तथा जन सुनवाई की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जैसलमेर विधायक रुपाराम धणदे, जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेघवाल, जिला कलक्टर नमित मेहता, जिला पुलिस अधीक्षक जगदीशचन्द्र शर्मा, नगरपरिषद सभापति श्रीमती कविता खत्री, पंचायत समिति जैसलमेर के प्रधान अमरदीन, सम समिति प्रधान श्रीमती उषा सुरेन्द्रसिंह राठौड के साथ ही जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

केबिनेट मंत्री ने बैठक से पूर्व जनसुनवाई में परिवादियों की समस्याओं को सुना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में संबंधित अधिकारियों को तय की गई निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिये।

उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि परिवादी के प्रकरण में जो कार्यवाही की जाती है उसकी सूचना भी उसे दी जावें। उन्होंने फसल खराबा के मुआवजे के मामलों को गंभीरता से लेते हुए इसमें मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित किसानों को शीघ्र ही करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला कलक्टर को कहा कि वे इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग कर भुगतान की कार्यवाही करावें। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त पेंशन प्रकरणों के आवेदनों के मामले में कहा कि जिन पात्र लोगों की पेंशन किसी कारणवश बंद हो गई है उसकी शीघ्र जांच कर पुनः पेंशन चालू करवाने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे टीम भावना से कार्य कर सभी योजनाओं में प्रगति लावें एवं लोगों को राहत प्रदान करें। उन्होंने बैठक में विभागीय गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए विशेष रुप से पेयजल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिले की पेयजल आपूर्ति में सुधार लावें एवं इसके लिये सभी अभियंता फील्ड में अधिक से अधिक भ्रमण कर लोगों को पीने का पानी समय पर उपलब्ध करावें। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति की कमी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने खराब पड़े नलकूपों एवं हैण्डपम्पों को कम से कम समय में पुनः चालू करने की हिदायत दी। साथ ही चिन्हित ढाणियों में टैंकरों से पेयजल परिवहन कर लोगों को समय पर पीने का पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने बैठक के दौरान पोकरण–फलसूण्ड एवं बाड़मेर पेयजल लिफ्ट योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की एवं इसमें गति लाकर गांव में पानी आपूर्ति करने के निर्देश दिये।

उन्होंने बैठक के दौरान रसद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ ही ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की एवं निर्देश दिये कि वे योजनाओं में पात्र लोगों को राहत पहुंचाने में किसी प्रकार की कौताही नहीं बरते। उन्होंने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पात्र लोगों को समय पर गेहूं उपलब्ध करवाने एवं इसमें किसी प्रकार की शिकायत मिले तो तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

जैसलमेर विधायक रुपाराम धणदे ने पेयजल एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे आपसी समन्वय रखते हुए लोगों को समय पर पीने का पानी उपलब्ध करवाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखें। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पेयजल फीडर पर कृषि कनेक्शन कम है वहां बिजली अधिक घंटों तक देकर पेयजल आपूर्ति में सुचारु रुप से बनाये रखें। उन्होंने खुदे हुए नलकूपों को शीघ्र ही चालू करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मुश्तैद होकर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनावें।

जिला कलक्टर नमित मेहता ने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों में गंभीरता के साथ कम से कम समय में निस्तारण करने की कार्यवाही करें। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि जो प्रकरण आज प्राप्त हुए है उसमें भी अधिकारी त्वरित गति से कार्यवाही कर परिवादी को राहत प्रदान करें। उन्होंने अधीक्षण अभियंता जलदाय को निर्देश दिये कि वे पेयजल आपूर्ति की प्रभावी मॉनेटरिंग सुनिश्चित कर लें साथ ही यह भी हिदायत दी कि पानी के मामलों में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेघवाल ने श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं में पात्र लोगों को समय पर भुगतान की कार्यवाही करने के साथ ही रावडीचक, रीवडी, मंडाई में पेयजल आपूर्ति सुचारु करने पर जोर दिया। वहीं जैसलमेर समिति के प्रधान अमरदीन व सम समिति के प्रधान श्रीमती उषा राठौड ने क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत करवाया।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने सतर्कता समिति दर्ज प्रकरणों को रखा एवं उसमें विभागों द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद रामेश्वरलाल मीना, उपायुक्त उपनिवेशन मोहनदान रतनू, उपखंड अधिकारी जैसलमेर विकास राजपुरोहित, पोकरण अनिल कुमार जैन, आयुक्त नगरपरिषद पवन कुमार के साथ ही अन्य जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

––––0000––––––

राजनैतिक दलों को दी मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी
राजनैतिक दल बीएलए नियुक्त करें, पात्र युवाओं के नाम जुड़वायें

जैसलमेर, 01 जनवरी। उपजिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2019 के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 26 दिसम्बर 2018 को एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारुप प्रकाशन किया जा चुका है। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने–अपने बूथस्तरीय

अभिकर्ताओं(बीएलए) की नियुक्ति कर उन्हें सक्रिय करें ताकि वे अधिक से अधिक नवमतदाताओं तथा अन्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकें। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने के लिए 25 जनवरी तक सभी बीएलओ घर–घर जाकर युवाओं का पंजीकरण करेंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजनैतिक दलों के साथ मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। बैठक में उपखंड अधिकारी जैसलमेर विकास राजपुरोहित, तहसीलदार भणियाणा रामजस विश्नोई, फतेहगढ़ निर्भाराम, नायब तहसीलदार चुनाव सत्यप्रकाश खत्री के साथ ही राजनैतिक दलों के पदाधिकारी गोविन्द भार्गव, जुगल बोहरा, अमृतलाल, कमल श्रीमाली उपस्थित थे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष तिथियों 13 एवं 20 जनवरी को बीएलओ को मतदान केन्द्रों एवं 12 तथा 19 जनवरी को ग्राम सभाओं, वार्ड सभाओं की बैठकों में उपस्थित होंगे एवं वे दावे एवं आपतियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 2019 तक बीएलओ प्रतिदिन घर–घर जाकर मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों का सत्यापन एवं विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई गई त्रुटियों, विशेष योग्यजनों से संबंधित सूचना एवं अन्य प्रपत्रों में सूचना का संकलन भी करेंगे। विशेष योग्यजन पंजीकृत अथवा पात्र अपंजीकृत मतदाताओं से दूरभाष पर सूचना प्राप्त होने पर बीएलओ उनसे अविलंब व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे।

उन्होंने बताया कि इस दौरान 12 एवं 19 जनवरी को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभाओं की बैठकों का आयोजन कर पठन एवं सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दावें एवं आपतियों का निस्तारण 11 फरवरी 2019 से पूर्व किया जायेगा। वहीं मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 22 फरवरी को किया जायेगा। उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को निर्देश दिये कि वे फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को गंभीरता के साथ सुनिश्चित करावें ताकि एक भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहें।

–––––000–––––